

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज (प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2019-20/ 23

दिनांक:- 6-8-2019

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा कोटा,

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति:-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, (01)-बालकों के लिए उ.प्रा.वि. (02)-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं	ऑफिस आई.डी.	जि.शि.अ/सीबीईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1.	1476	सूरजगढ (झुझून)	93028	श्री अशोक कुमार गजराज अध्यापक, राउप्रावि अमरपुरा कला के स्वयं के हृदय रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2	1641	नादौती (करौली)	252187	श्री श्यामलाल शर्मा अध्यापक राउप्रावि मैदे का पुरा के स्वयं के हृदय रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3	1482	बिलाडा(जोधपुर)	71727	श्री बसंत कुमार सहायक कर्मचारी के स्वयं के हृदय गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4	1627	बयाना (भरतपुर)	61787	श्री चन्द्रमान सहायक कर्मचारी की पत्नी मुनी देवी के गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
5	1459	करणपुर(श्रीगंगानगर)	362400	श्री रमेश कुमार शा0शि राउप्रावि 59 एफ के कैंसर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। 177000/ 185400/ कुल योग 362400/
6	1521	कोटा	145550	श्री तुलसीराम मालव अध्यापक राउप्रावि लखावा कोटा (शहर) के स्वयं के कैंसर रोग एवं माता के उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। 78771/17779/49000/ कुल राशि 145550
7	1700	फागी (जयपुर)	128432	श्री बजरंग लाल तिवाडी अध्यापक चकवाडा फागी राउप्रावि के स्वयं के गंभीर रोग हेतु 102235/ एवं श्रीमति अनिता गर्ग अध्यापिका राउप्रावि रेनवाल के गंभीर रोग हेतु राशि 26197/ उपचार चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु। कुल राशि 128432/
8	1574	जोधपुर	241095	श्रीमति राजकौर दैया अध्यापिका, राउप्रावि खेमे का कुआ जोधपुर शहर के स्वयं के गंभीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	1356206	

(अखरे रूपये तेरह लाख छपन हजार दो सौ छः मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत Ifms अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपर्युक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज (प्रा.शि)
विभाग राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत राज (प्रा.शि) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2019-20/ 82

दिनांक:- 6-8-2019

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति

विषय:- चिकित्सामद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, (01)-बालकों के लिए उ.प्रा.वि. (01)-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं	ऑफिस आई.डी.	सीबीईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1	1620	कुम्हेर	86407	श्री नन्द किशोर सेवा निवृत्त अध्यापक के स्वयं के हृदय रोग उपचार चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2	1398	सोजतसिटी(पाली)	149450	श्री आवडदान खिडीया राउप्रावि रून्दीया की पत्नि के हृदय रोग उपचार चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3	1629	धौलपुर (धौलपुर)	65675	श्री दाऊ दयाल शर्मा राउमावि डण्डोली के स्वयं के हृदय रोग उपचार चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4	1492	बाडमेर (बाडमेर)	102158	स्वं श्रीमति द्रौपदी वासु अध्यापिका राप्रावि मोडली भाखली के स्वयं के गंभीर रोग उपचार चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	403690	

(अखरे रूपये चार लाख तीन हजार छः सौ नब्बे मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।


मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायत
राज (प्रा.शि) विभाग राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/ श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी